

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2016/8010

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2016

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2016 एवं 15-5-2016 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2016-17 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2016-17 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-20(क) के क्रमांक-7 पर निम्न डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिनको ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2016-17 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2016-17 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, को सत्र 2016-17 हेतु परिषद से सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित संस्थान सत्र 2016-17 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराये, एवं क्रमांक 4 एवं 7 पर अंकित संस्थाओं को ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मैकेनिकल इंजी. पाठ्यक्रम में अनुमोदन प्रदान किया गया है, के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि चूंकि मैकेनिकल इंजी पाठ्यक्रम परिषद द्वारा संचालित नहीं किया जाता अतः संस्थाओं को मैकेनिकल इंजी० पाठ्यक्रम में परिषद से सत्र 2016-17 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाना संभव नहीं है तथा क्रमांक-3 पर अंकित संस्था शहरी क्षेत्र में होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रही है, जिसकी परिषद द्वारा जांच करायी जाये और सत्र 2016-17 हेतु संबंधित संस्था को इस शर्त के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाये कि यदि जांचोपरांत शहरी क्षेत्र में स्थित संस्था का प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से सत्र 2016-17 हेतु संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2016-17 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2016-17 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2016-17 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	विश्वेश्वरैया इंस्टी० आफ पालीटेक्निक, विलेज-बील अकबरपुर एण्ड तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर-203207	सिविल इंजी इलेक्ट्रिकल इंजी मैकेनिकल इंजी	60 60 60	60 60 00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

